8
6/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 59/2021

उनवानः– विजय बनाम मुनीराम वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रत्येक सायलान 17/594 हिस्सा अर्थात सायलान 1 ता 6, 17/99 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सायलान अपने हिस्से व कब्जे की भूमि ख0न0 707 मे अपने 17/99 रकवा 22 ऐयर जो कि हिण्डौन बालघाट रोड पर स्थित है पर काबिज है। बकिया आराजी गैरसायल न0 1 ता 8 की है तथा गैरसायला न0 7 व 8 ने उक्त आराजी दीगर खातेदारो से खरीदकर अपने नाम रजिस्ट्रीबिना बटवारा किये बिना ही करवा ली है तथा मौके व रिकार्ड मे बटवारा करवाये बिना गैरसायल न0 7 व 8 अब सायलान का हिस्सा जो हिण्डौन बालघाट रोड पर है उसे जबरदस्ती ताकत के बल पर ख0न0 707 मे सायलान के 17/99 जिसमे सायलान रकवा 22 ऐयर पर काबिज है से सायलान को बेदखल कर सायलान को अन्य जगहो पर हिस्सा देना चाहते है। तथा सायलान को उनके कब्जे व काश्त की भूमि पर बेदखल करने पर आमदा है। सायलान वर्णित आराजी ख0न0 707 मे खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे साबित है अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.07.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान का ख0न0 707 रकवा 0.50 है0 पर कोई कब्जा नही है। गैरसायल न0 1 ता 3 ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात के सम्पूर्ण हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.7.2021 को रामदयाल पुत्र जयनारायण एवं सावित्री पत्नि रामदयाल मीना व कविता पत्नि हेमन्त मीना को विक्रय कर कब्जा करा दिया गया है। जिन्हे सायलान द्वारा पक्षकार नही बनाया है। और माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यो को छिपाया गया है। इस प्रकार जरिये रजिस्टर्ड गैरसायल न0 7 एवं केता रामदयाल, सावित्री एवं कविता का वर्णित आराजी ख0न0 707 रकवा 0.50 है0 जो कि सडक के किनारे है ख0न0 711, 712, 706, 713 पर काबिज व दखील है जिससे सायलान व अन्य गैरसायलान का किसी प्रकार का संबध नही है। सायलान द्वारा खाता न0 19 मे दर्ज आराजी मे ही बटवारे का दावा पेश किया है जबकि इन्ही खातेदारो के नाम खाता न0 18 मे दर्ज आराजी ख0न0 698, 702/2337,703/2338, 704, 715 की खातेदारी है लेकिन खाता न0 18 मे बटवारा नही चाह कर केवल मात्र खाता न0 19 मे तकास्मा चाहा है जो कि सायलान की बदयान्ति को दर्शाता है। सायल ने मात्र खाता न0 19 मे क्रय की गई आराजी के नामांतकरण को रोकने का प्रयास किया है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता न0 19 मे कुल किता 10 कुल रकवा 1.25 है0 मे सायलान 17/99 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा बकिया हिस्से के गैरसायल न0 1 ता 6 व 8 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मूल वाद प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। जिमसे बटवारा स्कीम तलब किया जाना शेष है इसलिये वादपत्र के फाईनल डिक्री होने तक सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.07.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:38 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी